उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-18/2017/सीपी 154/84-2-2017-सीपी 8/2012

लखनऊ : दिनांक : 02 मई, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 107/84-2-2013-सीपी 8/2012, दिनांक 11 मार्च, 2013 द्वारा श्री राम नारायन मौर्य पुत्र श्री भागी मौर्य, ग्राम व पोस्ट काठतरॉव, मऊ की नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम, बलरामपुर में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी, जिसके अनुपालन में श्री मौर्य द्वारा उक्त पद का कार्यभार भी दिनांक 01.04.2013 को ग्रहण कर लिया गया था । कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-31/15/सीपी 660/84-2-15-सीपी 2/2009, दिनांक 30.10.2015 द्वारा श्री राम नारायन मौर्य का स्थानान्तरण जिला उपभोक्ता फोरम, बलरामपुर से जिला उपभोक्ता फोरम मऊ में अध्यक्ष के पद पर किया गया था।

2. श्री राम नारायन मौर्य द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 08.03.2017 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि वे अपनी अस्वस्थता के कारण जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ में अध्यक्ष के पद का कार्य करने में असमर्थ हैं। अत: उन्होंने स्वेच्छा से जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ के अध्यक्ष पद से दिनांक 15.03.2017 से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 12498/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0/25/13, दिनांक 20.03.2017 द्वारा श्री राम नारायन मौर्य, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ का त्यागपत्र दिनांक 15.03.2017 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के अनुरोध के दृष्टिगत जिला उपभोक्ता फोरम, मऊ के अध्यक्ष पद से श्री राम नारायन मौर्य पुत्र श्री भागी मौर्य, ग्राम व पोस्ट काठतरॉव, मऊ द्वारा स्वेच्छा से दिये गये उक्त त्यागपत्र को श्री राज्यपाल दिनांक 15.03.2017 से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 20.03.2017 के क्रम में।

(2) जिलाधिकारी, मऊ ।

(3) कोषाधिकारी, मऊ।

(4) श्री राम नारायन मौर्य पुत्र श्री भागी मौर्य, ग्राम व पोस्ट काठतरॉव, मऊ।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in